झारखण्ड सरकार <u>श्रम. नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग</u> अधिसूचना

दिनांक.....

एस0ओ0 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(1948 का11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(1948 का11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते है कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते है कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते है कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते है कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में(इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिद्रिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य नियोजनों में(इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिद्रिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी)

के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे। अखिल माह एवं वर्ष अनुसूचित नियोजनों के नाम भारतीयउपभोक्ता क्रम० मूल्य सं० सूचकांक(आधार ad 2008=800) 8 3 5 216 8 जनवरी, २०१८ बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन 9 फरवरी, २०१८ 2619 पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन 2 मार्च, २०१८ 269 चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन 3 222 अप्रैल,२०१८ कोल्ड स्टोरेज के नियोजन 8 228 मई, २०१८ डिस्टीलरी के नियोजन 43 995 जून, २०१८ पाट्रीज़ के नियोजन 8 बेकरीज़ एवं काल्फकेशन के नियोजन 6 को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन ć 91930 अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन कल 9 खण्ड्सारी उद्योग के नियोजन 20 81930 केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन माह का 3: 99 5 औसत अर्थात वृद्धि= 200 साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन 58 243 पुनरीक्षित सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन 59 निर्धारित बिन्दु 266-243=34 प्रतिशत वृद्धि एसबेस्ट्स सीमेंट कारख़ाना के नियोजन 88 १३.८३% की वृद्धि ग्लास सीट निर्माण के नियोजन 249 बन्दुक कारखाने के नियोजन 39 धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन 819 पेपर उद्योग के नियोजन 38

19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	See State
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	1.12.22.2.2.2
99	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	The second s
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	
28	आइसकीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	The second second second second
29	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	
35	फिशरीज के नियोजन	
219	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन	A CARLES AND A CARLES
ર૮	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल॰टी॰सी॰ के नियोजन	BOARD FOR THE
28	हाई कोक भट्ठा के नियोजन	Stand Street State
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	
38	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	
32	मुद्रणालय के नियोजन	
33	अबरक़ कार्यो(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	
38	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	
34	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	
38	रिफैकट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	
319	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	
36	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	
38	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	
Ro	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	
88	उनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	
85	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	
83	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	
88	सिनेमा उद्योग के नियोजन	
89	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	
8E	सिलाई उद्योग के नियोजन	

30	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	
85	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	
88	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	
40	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्आ एवं रेलवे	
	स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	
98	कृषि नियोजन	
42	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	
43	शीशा उधयोग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	
48	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	
449	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	NEW YORK
48	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	
96	दलाई(फऊण्ड्री उद्योग) के नियोजन	
92	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	Carry March 19 19 19
499	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	
ξo	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	
59	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	
\$3	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन	
ξġ	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	
٤8	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	
£4	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	
53	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	
ξų	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन	
<u>۶</u> ٢	चार्टेड/कॉस्ट अकऊन्ट्स/औडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	
٤٩	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन	
60	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	
98	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	
65	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	

193	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	
68	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	
1949	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	
66	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	
୧୦୦	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधि॰ १९७६ से आच्छादित नियोजन	

परिवर्तनशील महँगाई अत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महॅगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महेंगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भन्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी-जून, २०१८ (वर्ष २०१८ का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- ०१-१०-२०१८ की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 8 ब्द्रदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस॰ ओ॰.....

दिनांक.....

का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड-३ के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, (बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

SI. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	January, 2018	288.00
2	Shops Selling Cooked food stuff	February, 2018 March,2018	287.00 287.00
3	Tanneries and Leather Manufactory	April, 2018	288.00
4	Cold Storage	May,2018 June, 2018	289.00 291.00
5	Distilleries		
6	Potteries	Total-	1730.00
7	Bakeries and Confectionaries		1730.00
8	Co-Operative Sector	Average	6
9	Aluminum Industry		= 288 288-253=35 Points
10	Khandsari Industry		=13.83% increase

1	2	3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		19 J. J.
14	Asbestos Cement factory		2
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory	200 3.7	
17	Religious and Social Industry	7.2	
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing	128	
20	Hosieries Manufacturing	100	
21	Manufacture of Sindur and Rang		- n.
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		4
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.	100 A	
29	Hard Coke Oven	200	
30	Private Hospital, Nursing		

Provide Statements		the second se
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	
32	Printing Press	1.1
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	
34	Handloom Industry	181 14
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry	
37	Any shop or Establisment	
38	Public Motor Transport	
39	Any University, Education Research of Iultural Institution	
40	Hotels, Eating House and Resturant	
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	
42	Dairies and Poultry Farms	
43	Auto Mobile Engineering	
44	Cinema Industry	
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	
46	Tailoring Industry	1
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	
49	Plastic Industry	
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	
51	Employment in Agriculture	

52	Book Binding Industry	
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactury	
55	Electronics Industry	
56	Plywood Industry	
57	Foundry Industry	-
58	Biscuit Industry	
59	Coal Briquette Industry	
60	Private Security Agency	
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	
62	Mineral Grinding Industry	
63	Employment of Sweeping and Cleaning	
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	125-2
65	Employment in Motor garages and workshops	
66	Employment of Motor Body Building.	
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs	

1	2	3	4
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.	21	
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2018, which is 1st half of 2018, will be payable from 01.10.2018.

[No-2/MW-2071/2010 L&T-1830 Ranchi, Dated 19.09.18]

By Order of the Governor of Jharkhand,

(Budhdeo Bhagat)

प्रतिलिपिः-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ७००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12018

बदुदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एमण्डब्लू०-२०७२/२०१०अ०नि०. 1830 राँची,दिनांक. 19.09.18

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेजसेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ब्यूरो,शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय),श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

- Ame g12018

(बुद्धदेव भगत) सरकार के अवर सचिव।

2 अनुसूची-1

क्रमस॰	अनुसूचित नियोजनौ का नाम	अधिसूचना सं॰ एवं तिथि	दिसम्बर, २०१४ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दर्र	का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५ - ४)	बढे हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महँगाई की अतिरिक्त राशि	महेंगाई भल्ता
1	2	3	4	5	6	7	8
8	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यो के नियोजन	अधिसूचना सं० -१४६७, १४६७ दिनांक १४.०८.२०१५	243	266	३५ अथोल <u>३५४१००</u> २५३ =१३.८३%	क)रु०२१०,००पर ह०२९,०४प्र तिदिन ख) ह०२२०,००पर ह०३०,४२प्र तिदिन	दिनांक ०१.१०.२०१८ से
\$	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानाँ के नियोजन					ग) रु०२९०,००पर रु०४०,१०प्र तिदिन ध) रु०३३५,००पर	
э	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	नरेन				रु०४६.३३प्र तिदिन	
8	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	सटैम				<u>मासिक</u> क) रू॰ ५४६० पर	
y	डिस्टीलरी के नियोजन	तहेव				रु० ७५५.११ प्रतिमाह	
٤	पाट्रीज़ के नियोजन	सर्वेश				ख) रु॰ ५७२० पर रु॰ ७९१,०७ प्रतिमाह	
6	बेकरीज़ एवं काल्फकेशन के नियोजन	तरैव	-	- Sie		ज्ञा) रु० ७५४० पर रु० १०४२.७८	
¢	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	नदेव				प्रतिमाह घ) रु० ८७१० पर रु० १२०४.५९ प्रतिमाह	

	_	_		0		٤.			
-107	-	_	٠	4	٠	_	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
٩	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
90	खण्ड्सारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	लदैव	तदैव	तदैव	तदैव
99	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	ਜ ਟੈਂਗ	तदैव	तदैव
25	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
88	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
89	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	लदैव	तदैव	तदेव	तदैव	तदैव	तदैव
88	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
819	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	ਰ ਵੈੱਕ	, तदेव	ਰਟੈਰ	तदैव	तदैव	तदैव
29	पेपर उधयोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	सदैव	तदैव	तदैव	तदैव	लदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	ਜਟੈਰ	तदैव	सदैव	तदैव	तदैव	ਰਵੈਂਕ
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	ਰ दैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	उड वर्क्स एवं फर्नींवर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

......

1	2	3	4	5	6	7	8
39	फिशरीज़ के नियोजन	ਰ ਫੈ ਰ	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
99	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	ਰਟੈਰ	तदैव	तदेव
56	हाई कोक अड्डा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अबरक कार्यो(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव
38	हैंडलून उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	रिफैकट्ररीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
0	होटल, भोजन गृहाँ एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	ਰਟੈਕ	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
88	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
85	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
83	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
88	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
84	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
¥ξ	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
86	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
85	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
88	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
90	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्आ एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उधयोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव
99	कृषि नियोजन	अधिसूचना सं०- १४७३, १४७४दिनाक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव
42	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	अधिसूचना संव- १४६७, १४६८दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	दफ्ली, काईबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गल्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

----:4:----

1	2	3	4	5	6	7	8
44	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	लदैव
48	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
919	ढलाई(फऊण्ड्री उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	ਰਟੈਰ	तदैव	तदैव	तदैव
36	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदेव	तदेव	तदैव	तदैव
98	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
E o	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	लदैव	तदैव	तदैव	लदैव	तदैव	तदैव
59	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	मिनरल ग्राईंडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव
58	स्पंज आइरन छड निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदेव	तदैव
19	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैय	तदैव	तदैव
18	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चार्टेड/कॉस्ट अकऊन्ट्स/औडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	ਜਵੈਬ	ं तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
83	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदेव	तदैव	ਰਵੈਕ	तदैव	तदेव	तदेव
90	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
99	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	लदैव	तदैव
65	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	ग्राइँडिंग एण्ड कशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
64	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	अधिसूचना संव- १४६९,	तदैव	लदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधि॰ १९७६ से आच्छादिल नियोजन	९४७०दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डबल्यू०-२०७१/२०१०, अ०नि०<u>18 29</u> राँची, दिनांक<u>19-09</u>)2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(बुद्धदेव भगत) सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I

SI No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July- December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January- June, 2018 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1467, 1468 Date 14-08- 2015	-253	288	35 Or 35_x100 253 =13.83%	 (a) On Rs 210.00 Rs 29.04 per day (b) On Rs 220.00 Rs 30.42per day (c) On Rs 290.00 Rs 40.10per day (d) Rs 335.00 and above Rs 46.33 per day Monthly 	From 01_10/2018
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-				(a) On Rs. 5460.00 Rs. 755.11per month (b) On Rs. 5720.00 Rs. 791.07per month (c) On Rs. 7540.00 Rs.1942.78per month (d) Rs. 8710.00 and above Rs.1204.59	
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-				per month	
4	Cold Storage	-Do-		T			S 6 1
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-			1		
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do
9	Aluminum Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do
10	Khandsari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Gun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-	
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-		-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-			-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L.T.C.		101484	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29		-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
-9	Hard Coke Oven	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
		-Do-						

----:2:----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-						
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-						
32	Printing Press	-Do-						
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-						
34	Handloom Industry	-Do-						
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-D0-
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-						
37	Any shop or Establishment	-Do-						
38	Public Motor Transport	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-						
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-						
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-						
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-						
43	Auto Mobile Engineering	-Do-						
44	Cinema Industry	-Do-						
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-						
46	Tailoring Industry	-Do-						
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-						
49	Plastic Industry	-Do-						

---:3:----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
51	Employment in Agriculture	Notification No-1473, 1474 Date 14:08:2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	Notification No-1467, 1468 Date 14-06-2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
54	Electronics Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
55	Plywood Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
56	Foundry Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
57	Biscuit Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
58	Coal Briquette Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
59	Private Security Agency	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
61	Mineral Grinding Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
63	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
65	Employment of Motor Body Building.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
67	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
58	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

0	1	2	3	4	5	6	7	1.
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	8 -Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc,	Notification No 1469 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

By order of the Governor of Jharkhand,

12018 t (Budhdeo Bhagat)

Under Secretary to Government



Regulatory ALERT 15th October 2018

Regulatory ALERT



TeamLease is uniquely positioned to address the requirements in the domain of regulatory and labour law compliances. At TeamLease, our key focus is to translate the knowledge on upcoming developments in the area of Labour Law Compliances.

We thought one such way to solve that is through our, "Regulatory ALERT" system. This will provide information on recent regulatory changes happened in Labour Laws and also explains the implications and says how to implement those changes in order to make the regulatory functioning Smooth.

We had extended this platform to all our esteemed clients to create awareness on these changes in regulatory functioning so as to ensure complied in all Labour Law related areas.





Notifications and Circulars.

<u>Title</u>: Revision in Minimum Wages for the State of Jharkhand.

Description: As per notification, Minimum Wages has been revised for the state of Jharkhand with effective from 1st October 2018.

Notified on : 3rd October, 2018

Applicability: Applies to all scheduled employments as specified under Minimum Wages Act, 1948 to the **State of Jharkhand.**

Regulatory ALERT

15th October 2018



Team Lease Views Points and Required Actions:

Below mentioned Min	imum Wages is	applicable to	all scheduled 1st October		or the State of	f Jharkand Wit	h effective from						
Minimum wages as on 30th September 2018 Minimum wages as on 1st October 2018													
Class of Employment	Basic Per	VDA Per	Total Per	Basic Per	VDA Per	Total Per	Difference in						
Class of Employment	Month	Month	Month	Month	Month	Month	Total/Month						
Highly skilled	8710	1136	9846	8710	1205	9915	69						
Skilled	7540	984	8524	7540	1043	8583	59						
Semi Skilled	5720	746	6466	5720	792	6512	46						
Unskilled	5460	712	6172	5460	756	6216	44						

Overall, It is impact to the employers registered In Jharkand there by increase in the employee cost in order to adhere the provisions of Minimum Wages Act, 1948